न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 95/2008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

अलानूर खां पुत्र ईशाक खां (मृतक)
वारिस–युसुफ खां, मो0 रहीस पि. अलानूर, जुबेदा पत्नि अलानूर खां, नूरजहॉ पत्नि जब्बर अली खां, फरीदा पत्नि कल्लू, हप्पो पत्नि अता, ओसाब पत्नि इकबाल, शाहिदा पत्नि नत्थन, आबिदा पत्नि रहूफ, मोसिना पत्नि तनवीर, परवीन पत्नि रहीम पुत्रियान अलानूर खां कौम मुसलमान निवासी दौसा

.. अप्रार्थी

रैफरेंस अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित: 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त में रैफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध भूमि खसरा नंबर 93, 94/2, 94/1, 95 से 97 वाके ग्राम दलेलपुरा में स्थित है जो कि पूर्व में सरकारी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज थी का रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।
2. रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने रैफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
   - ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा स्थित खसरा नंबर 91 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 85 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा गै0मु0 नहर महकमा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम संवत 2013 से 2016 की जमाबंदी/अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज रिकार्ड था।
   - एकीकरण संवत 2018 के दौरान मिन नंबर 1147/62 दिनांक 5.11.1962 द्वारा गत खसरा नंबर 91/4 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 91/5 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 85/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 85/2 रकबा 07 बिस्वा का नया नंबर 26 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का बनाकर अल्लनूर खां पुत्र ईशाक खां जाति मुसलमान निवासी दौसा के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई।
   - भू प्रबंध 2041 से 2060 के दौरान एकीकरण के खसरा नंबर 26 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नये खसरा नंबर 93 रकबा 1.12है. खसरा नंबर 94 रकबा 0.12है. खसरा नंबर 95 रकबा 0.16है. खसरा नंबर 96 रकबा 0.09है. व खसरा नंबर 97 रकबा 0.05है. बनाये गये जो कि अल्लनूर खां पुत्र ईशाक खां जाति मुसलमान निवासी दौसा के नाम दर्ज थे।
   - दिनांक 9.6.2009 द्वारा नामान्तरण सं0 [illegible] विरासत व हक त्याग द्वारा अल्लानूर खां पुत्र ईशाक खां के स्थान युसुफ व मोहम्मद रहीस पि. अल्लानूर खां के नाम तब्दील हुआ तथा नामान्तरण सं0 [illegible] दिनांक 3.11.2010 द्वारा युसुफ खां व मौहम्मद रहीस का तकास्मा हुआ जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबरान में युसुफ खां पुत्र अलानूर खां के हिस्से में खसरा नंबर 94/1 रकबा 0.04है. खसरा नंबर 95

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

रकबा 0.16है. खसरा नंबर 96 रकबा 0.09है. खसरा नंबर 97 रकबा 0.05है. कुल किता 4 रकबा 0.34है. व मौहम्मद रहीस पुत्र अल्लानूर खां खसरा नंबर 93 रकबा 0.12है. खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.08है. कुल किता 2 रकबा 0.20है. रकबा दर्ज हुआ।

- नामान्तरण सं0 257 दिनांक 5.8.2013 द्वारा युसुफ खां पुत्र अलानूर खां का खाता राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोता के नाम दर्ज हो गया तथा नामान्तरण सं0 258 दिनांक 5.8.2013 द्वारा मौहम्मद रहीस पुत्र अल्लानूर खां का हिस्सा राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोताखुर्द के नाम दर्ज हो गयी।
- अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जो भूमि संवत 2013 से 2016 के दौरान गै0मु0 नहर पी0डब्ल्यू0डी0 दर्ज रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा था जो कि वर्तमान के खसरा नंबर 93 रकबा 0.12है. खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.08है. कुल किता 2 रकबा 0.20है0 मौहम्मद रहीस पुत्र अल्लानूर खां जाति मुसलमान सा0दौसा खातेदार राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोता व खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.04है. खसरा नंबर 95 रकबा 0.16है. खसरा नंबर 96 रकबा 0.09है. खसरा नंबर 97 रकबा 0.05है. कुल किता 4 रकबा 0.34है. युसुफ खां पुत्र अलानूर खां जाति मुसलमान निवासी दौसा खातेदार राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोता के नाम दर्ज है जिसका परिवर्तन संवत 2013 से 2016 से अब तक के मध्य हुआ है जो पूर्व में गै0मु0 नहर पी.डब्ल्यू.डी. के बजाय खातेदारी व बारानी 1 व बारानी ए दर्ज हुई

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब बहस में कथन किया कि संवत 2010 से 2022 की खतौनी में खसरा नंबर 7 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 85 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 91 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम थी। उक्त तीनों ही नंबर मौके पर नहर नहीं थी। एकीकरण संवम 2018–19 के दौरान एकीकरण द्वारा उक्त खसरा नंबर 7 रकबार 6 बीघा 17 बिस्वा जो कि पी.डब्ल्यू.डी. के नाम था और गै0मु0 नहर अंकित थी उसे किसी दीगर की खातेदारी में अंकित कर दिया तथा खसरा नंबर 85 रकबा 03 बीघा 1 बिस्वा में से 13 बिस्वा रकबा एकीकरण बाद बने नंबर 24 में मिलाकर और उक्त 24 नंबर को महकमा पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम लगा दिया व उक्त खसरा नंबर 85 का शेष रकबा में से 17 बिस्वा एकीकरण बाद बने खसरा नंबर 28 में मिलाकर और उक्त खसरा नंबर 26 को अलानूर खां के नाम लगा दिया तथा खसरा नंबर 85 का शेष करबा 2 बीघा किसी दीगर के नाम लगा दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 91 रकबा 4 बीघा में से 2 बीघा 11 बिस्वा रकबा एकीकरण के बाद बने खसरा नंबर 24 में मिलाकर और उक्त खसरा नंबर 24 की खातेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम लगा दी तथा 1 बीघा रकबा एकीकरण के बाद बने खसरा नंबर 26 में मिलाकर और खातेदारी अलानूर खां के नाम लगा दी तथा शेष रकबा 9 बिस्वा की खातेदारी किसी दीगर के नाम लगा दी। तहसीलदार जी ने उक्त नंबरों की खातेदारी जो अन्य के नाम लगी है उनके खिलाफ कोई रैफरेन्स पेश नहीं किया उन्हें कोई पक्षकार नहीं बनाया। इसी प्रकार संवत 2010 लगा0 2022 में पी.डब्ल्यू.डी. के नाम खसरा नंबर 7, 85, 91 कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी थी, एकीकरण 2018-19 के बाद एकीकरण कर्मचारियों ने पी.डब्ल्यू.डी. के नाम उक्त खसरा नंबरान की भूमि के बजाय खसरा नंबर 24 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी लगायी है जिसमें लगभग 1 बीघा 17 बिस्वा रकबा बढाकर खातेदारी लगाई है और जो खसरा नंबर 24 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम लगाई है वह खातेदारी खसरा नंबर 7, 95, 91 से बनने वाले नंबरों की नहीं लगाई है बल्कि जो खसरा नंबर 24 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी लगाई है वे एकीकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

पूर्व के खसरा नंबर 86/4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 87 में से 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 89 में से 1 बीघा 13 बिस्वा रकबा मिलाकर और खातेदारी लगायी है। यानि एकीकरण के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. के नाम जो खसरा नंबर 24 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा की भूमि लगायी गई है उसमें खसरा नंबर 86, 87, 89 में से भूमि काटकर और खसरा नंबर 24 में मिलाकर और उसमें रकबा बढाकर खातेदारी दी है तथा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम की भूमि में से भूमि काटकर दीगर के नाम लगायी है जब तहसीलदार ने खसरा नंबर 91 का रैफरेन्स किया है तो अन्य भूमि जो पी.डब्ल्यू.डी. के नाम बढायी है अन्य भूमि जो पी.डब्ल्यू.डी. के नाम लगाई है और जो भूमि पी.डब्ल्यू.डी. से काटकर अन्य लोगों के नाम लगायी गई है उसका रैफरेन्स क्यों नहीं किया इस बारे में तहसीलदार दौसा ने कहीं भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पी.डब्ल्यू.डी. के नाम संवत 2010 से 2022 में मात्र 13 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी थी तथा एकीकरण के बाद 15 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी लगा दी जिससे 2 बीघा रकबा बढा दिया तथा जो नये नंबरों की खातेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम लगायी है उसमें पूर्व में खसरा नंबर 86, 87 व 89 की खातेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम नहीं थी उसमें से भूमि जोड दी है इसके बारे में कोई रैफरेन्स नहीं किया है। यदि तहसीलदार दौसा खसरा नंबर 26 की खातेदारी अलानूर के नाम लगना गलत मानते है तो खसरा नंबर 24 की खातेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के नाम गलत लगी है क्योंकि उक्त खसरा नंबर 24 भी दीगर खातेदारों के नंबर से बने है। एकीकरण के दौरान की गई कार्यवाही को रैफरेन्स के माध्यम से इतना देरीना चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया।
7. इस संबंध में नकल खतौनी बंदोबस्त मौजा दलेलपुरा तहसील दौसा संवत 2010 अवलोकनीय है जिसकी प्रविष्ठियां निम्न प्रकार हैः—

नंबर शुमार	नंबर खाता	नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	नाम खातेदार मय वल्दियत व कोमियत व सकूनत	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन
2	2	—	खालसा			
			पी.डब्लू.डी	7 85 91	6बीघा 17 बिस्वा 3 बीघा 1 बिस्वा 4 बीघा	गै.मु.नहर गै.मु.नहर गै.मु.नहर
			मीजान खाता	3	13 बीघा 18 बिस्वा	

उक्त मिसल बंदोबस्त से यह सिद्व होता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की रही है। इसके उपरांत एकीकरण संवत 2018 के मुताबिक भूमि के खसरा नंबर 33 व 26 है। एकीकरण संवत 2018 में उक्त भूमि जिसका इन्द्राज इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवासस्थान	नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवासस्थान	ना[illegible] पिता का ना[illegible] जाति निवासस्थान, कृषक [illegible] कमल	खसरा/रकबा
राजस्थान सरकार	—	अला[illegible] खॉ पुत्र इसाहक खॉ जाति मुसलमान नि0 दौसा	33/9 बीघा 1बिस्वा 26/1बीघा 17 बिस्वा

जिला कलक्टर, दौसा

भूमि एकीकरण विभाग, राजस्थान का मिलान क्षेत्रफल ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा संवत 2018 का विवरण अवलोकनीय है:—

ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा जिला जयपुर

हाल		साबिक	
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
26	1 बीघा 17 बिस्वा	91/4	5 बिस्वा
		91/5	5 बिस्वा
		85/1	5 बिस्वा
		85/2 मि.	1बीघा 2 बिस्वा
			1 बीघा 17 बिस्वा
33	9 बीघा 1 बिस्वा	80	4 बीघा 2 बिस्वा
		81/1	1 बीघा 14 बिस्वा
		79	3 बीघा 9 बिस्वा
			9 बीघा 1 बिस्वा

भूमि संवत 2013 से 2016 के दौरान गै0मु0 नहर पी0डब्ल्यू0डी0 दर्ज रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा था जो कि वर्तमान के खसरा नंबर 93 रकबा 0.12है. खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.08है. कुल किता 2 रकबा 0.20है0 मौहम्मद रहीस पुत्र अल्लानूर खां जाति मुसलमान सा0दौसा खातेदार राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोता व खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.04है. खसरा नंबर 95 रकबा 0.16है. खसरा नंबर 96 रकबा 0.09है. खसरा नंबर 97 रकबा 0.05है. कुल किता 4 रकबा 0.34है. युसुफ खां पुत्र अलानूर खां जाति मुसलमान निवासी दौसा खातेदार राहिन जीरोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 जीरोता के नाम दर्ज है जिसका परिवर्तन संवत 2013 से 2016 से अब तक के मध्य हुआ है जो पूर्व में गै0मु0 नहर पी.डब्ल्यू.डी. के बजाय खातेदारी व बारानी 1 व बारानी ए दर्ज हुई। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2013 से 2016, खतौनी एकीकरण, जमाबंदी संवत 2033 से 2036, मिलान क्षेत्रफल एकीकरण, खतौनी भू प्रबंध संवत 2041 से 2060, मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 से 2060, जमाबंदी संवत 2064 से 2067, संवत 2072 से 2075, 2068 से 2071, नामान्तरण सं0 229 दिनांक 9.6.2009, 237 दिनांक 3.11.2010, 257 दिनांक 5.8.2013, 258 दिनांक 5.8.2013 के अवलोकन से सिद्ध होता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रैफरेन्स योग्य पाया जाता है। प्रश्नगत भूमि को पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0नहर दर्ज करने हेतु राजस्व मंडल राज0 अजमेर को रैफरेन्स किया जाता है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19.9.2025 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होवें। तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी पर रैफरेन्स का नोट जमाबंदी में अंकन करवाना सुनिश्चित करे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 202[illegible] को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा